न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 352/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– विक्रमसिह पुत्र पृथ्वीदान 2– मधुकंवर पुत्री पृथ्वीदान 3– जनककंवर पत्नी गिरधारी सिह 4– प्रवीण सिह पुत्र गिरधारी सिह 5– छेलु पुत्री गिरधारी सिह रेस्पो0 संख्या 4 व 5 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता जनककंवर पत्नी गिरधारी सिह 6– फतेहदान पुत्र हरदान सभी जातियान चारण निवासीगण चंगावडा चारणान, तहसील बावडी जिला जोधपुर		1– रामुराम पुत्र लुम्बाराम 2– ढगलाराम पुत्र रामदेव 3– प्रेमाराम पुत्र रामदेव 4– अशोक पुत्र रामदेव 5– श्रीमती साऊडी पत्नी रामदेव सभी जातियान जाट निवासीगण बुडकिया तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर 6– हिंगलाजदान पुत्र चैनदान जाति चारण निवासी चंगावडा चारणान तहसील बावडी जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी बावडी राजस्व मुकदमा संख्या 3/2016 अनवान पृथ्वीदान के का0मुकाम विक्रम सिह वगैरा बनाम रामुराम व अन्य मे दिनांक 10–1–2018 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री गुंलाब सिह चंपावत अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– रेस्पो0 सं 1 से 6 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 11–6–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के अपीलांट संख्या 1 से 5 के पूर्वज स्व0 पृथ्वीदान, अपीलांट संख्या 6 फतेहदान एवं वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 6 हिंगलाजदान पुत्र चैनदान ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावडी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल. आर.एक्ट का प्रस्तुत कर उनके खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि ग्राम चगावडा चारणान की सरहद स्थित खसरा नंबर 06 रकबा 68 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नंबर 27 रकबा 17 बीघा 11 बिस्वा भूमि के पूर्व की तरफ ग्राम बुडकिया के खसरा नंबरान 12, 13, 522 व 523 की भूमि वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 से 5 के खातेदारी एवं कब्जासुद आई हुई है तथा प्रार्थना पत्र मे उल्लेख किया कि उपरोक्त खसरा नंबरान की भूमि ग्राम चंगावडा चारणान व बुडकिया दो तहसीलो की सीमा पर स्थित होने से उक्त भूमि का सीमाज्ञान हेतु तहसीलदार भोपालगढ के आदेशानुसार टीम गठित कर, उक्त टीम द्वारा मौका फर्द दिनांक 6–5–2016 तैयार की जो प्रार्थना पत्र के सलंग्न प्रस्तुत कर अपने खातेदारी की भूमि की पत्थरगढी करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10–1–2018 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को धारा

अति॰ सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की श्रेणी मे नही आने का उल्लेख करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र को खारीज कर दिया जाने पर अपीलांटगण ने यह अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

वकील अपीलांट उपस्थित । रेस्पो0 संख्या 1 से 6 को जरिये सम्मन तलब किया गया, उनके सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए तथा रेस्पो0 संख्या 6 स्वयं तारीख पेशी 12–11–18 को उपस्थित हुए, उसके बाद रेस्पो0 संख्या 6 उपस्थित नही हुए तथा रेस्पो0 संख्या 1 से 5 बावजुद सम्मन तामिल के अनुपस्थित रहने पर सभी रेस्पो0 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाकर अपीलांट अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई ।

अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस के दौरान अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे पत्रावली रेस्पो0गण के जवाब तथा तहसीलदार बावडी की रिपोर्ट तलब करने हेतु चल रही थी तथा दिनांक 3–7–17 से 10–1–18 तक की आदेशिकाएं सीलनुमा जिसमे पीठासीन अधिकारी भ्रमण मे होने की इबारत के साथ पेशीयां इल्तवा होती रही परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10–1–2018 को तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त किये बिना तथा अप्रार्थीगण का जवाब बंद करते हुए अपीलांटगण की बहस करने का उल्लेख करते हुए अपीलांटगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का खारीज करने मे विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि जमाबंदी मे दर्ज प्रत्येक खातेदार को अपने खातेदारी की खेत की सीमा चिन्ह निश्चित करवाने का अधिकार होने से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विधि मे वर्णित प्रावधानो के अनुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का पेश किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय को स्वीकार कर सीमाज्ञान रिपोर्ट अनुसार अपीलांट के खातेदारी की भूमि पर पत्थरगढी बाबत आदेश पारित किया जाना चाहिये था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो की पालना किये बिना अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रार्थना पत्र को खारीज करने मे विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र के सलंग्न अपीलाधीन भूमि दोनो तहसील के संबंधित पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 6–5–2016 को तैयार की गई मौका रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन भूमि की पत्थरगढी के आदेश दिये जाने के बजाय अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारीज करने मे विधिक भूल की

है, जो निरस्त योग्य है । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आर.आर. डी. 2017 पेज 289 की निर्णय नजीर पेश करते हुए कथन किया कि उक्त निर्णय नजीर के परिपेक्ष्य मे अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बावडी को संबंधित तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलांट की खातेदारी की भूमि का सीमांकन व पत्थरगढी करने का आदेश पारित करने हेतु रिमाण्ड करने का निवेदन किया ।

हमने अपीलांट के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10–1–2018 तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 6–5–2016 का अवलोकन किया । अपीलाधीन भूमि जो कि दो तहसीलो की सीमा पर स्थित होने तथा दो ग्रामो की सीमा संबंधी विवाद होने के कारण दोनो तहसीलो के संबंधित पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक की संयुक्त टीम द्वारा मौका फर्द रिपोर्ट तैयार करवाई गई, जिसमे दोनो ग्रामों की सीमाओं की माठ पर रकबा 6 बीघा 05 बिस्वा अतिक्रमण होना तथा मौका फर्द मे दर्शाये गये नजरी नक्शे की आकृति तथा जमाबंदी मे दर्ज रकबे मे भी अंतर होने संबंधी तथ्य प्रकट किये है । ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेकर्ड पर प्रकट तथ्यो के आधार पर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से हम उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही समझते है ।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 11–6–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर